फैक्स नं0. 0522–2286643
☎ नं0. 0522–2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

सं0– 1697 –मा0सं0प्र0–02 / उनिलि / 2016–15एन0जी0 / 2001 दिनांक : 02 ~~जुलाई~~ अगस्त 2016

कार्यालय ज्ञाप

विषय :– उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत की स्वीकृति।

एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्याः 2418–मा0सं0प्र0–(02) / उ0नि0लि0 / 2015–15एन0जी0 / 2001, दिनांक 02.01.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0: 16 / 2016 / सा–3–476 / दस–2016–301 / 2000 टी0सी0, दिनांक 14.06.2016 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2016 से बढ़ी हुई महंगाई राहत की 06(छः) प्रतिशत् की एक और किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2016 से 06(छः) प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान 119(एक सौ उन्नीस) प्रतिशत की दर बढ़कर 125(एक सौ पच्चीस) प्रतिशत हो जायेगी।

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं0: 1054–डब्लू0सी0 / राविप–औ0सं0–19–14(23)एफ–85, दिनांक 10.06.88 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त) / महाप्रबन्धक(लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी / लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

5. महंगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगें।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमशः 2 / –

सं0: 1697 –मा0सं0–01/उनिलि/2016, तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव।

(2) निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।

(3) मुख्य अभियन्ता, ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा(सोनभद्र)/अनपरा(सोनभद्र)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/पारीछा(झाँसी)।

(4) महाप्रबन्धक(मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।

(5) मुख्य अभियन्ता, तापीय परिचालन/ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(6) मुख्य अभियन्ता (जानपद)/(जानपद नव –परियोजनाऍं), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(7) अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(8) मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(9) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(10) महा प्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(11) मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।

(12). उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(13) मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(14). समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, (मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(15) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/(पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।

(16) वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

(17) अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ।

(18) कट फाइल ।

आज्ञा से,

01/08/16

(मोहम्मद तस्नीम)
उप महाप्रबन्धक(02)

My doc/Archana/Pansioner's DA.doc